मुंबई पत्तन प्रधिकरण

मंडल की 15 फरवरी 2022 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	1	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अधीन मुंबई पत्तन के बोर्ड का गठन.	बोर्ड ने प्रस्ताव को नोट किया.	सामान्य प्रशासन
2.	2	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 - मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का मुंबई पत्तन प्राधिकरण के रुप में पुन:नामकरण करना.	बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	सामान्य प्रशासन
3.	3	7 दिसंबर 2021 को आयोजित बोर्ड की विशेष बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी.	बोर्ड ने 7.12.2021 को आयोजित विशेष बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी की.	सामान्य प्रशासन
4.	4	7 दिसंबर 2021 को आयोजित बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी.	बोर्ड ने 7.12.2021 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी की.	सामान्य प्रशासन
5.	5	मुंबई पत्तन के जरिए चीनी तथा अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को आकर्षित करना.	बोर्ड ने टिप्पणी के परिच्छेद 9 (ए तथा बी) और 11(ii) में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	यातायात
6.	6	सीमाशुल्क से युबी सेंटर स्थित कार्यालय जगह के नवीनीकरण / अतिरिक्त जगह हेतु अनुरोध.	बोर्ड ने चर्चा के बाद मुख्य यांत्रिक अभियंता द्वारा प्रस्तावित संशोधनों सहित परिच्छेद 8 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
7.	7	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा 1.2.2015 से 30.1.2016 तक की अवधि के दौरान बिना किसी आधार के एकपक्षीय, अनुचित, अत्यधिक दरों पर विलंब शुल्क की उगाही के विरुध्द मारुति सुझुकी लि. का महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 54 के अंतर्गत प्रतिवेदन.	बोर्ड ने 1.2.2015 तथा 30.1.2016 के बीच की अवधि के लिए मारुति सुझुकी लि. के निर्यात वाहनों पर प्रति दिन विलंब शुल्क प्रभारों का पूर्व प्रभाव से क्रियान्वयन करने के अनुरोध पर विचार न करने का निर्णय किया.	यातायात

8.	8	पोतभार प्रबंधन, प्रशासन, गृह व्यवस्था आदि के लिए कार्यालय जगह के रुप में उपयोग हेतु लाइसेंस आधार पर 12 बी इंदिरा गोदी शेड स्थित प्रत्येकी 25 चौ. मीटर मापन के आठ (08) कमरों के आबंटन हेतु निविदा - निविदा संख्या टीएम/आईडी/02/2021.	बोर्ड ने चर्चा के बाद टिप्पणी के परिच्छेद 11 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
9.	9	अपतटीय गतिविधियों अर्थात 14 व्हिक्टोरिया गोदी तथा डब्ल्युआईएनसी मुंबई स्थित चिन्हित क्षेत्र के अंदर सुविधाओं के संस्थापन, पोतभार सम्हलाई उपकरण के साथ या उसके बिना भंडारण /पोतभार प्रचालनों के लिए खुली / छतदार जगह के आबंटन हेतु निविदा . -निविदा संख्या:टीएम/आईडी/01/2021.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, टिप्पणी के परिच्छेद 11 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
10.	10	एमव्ही कल्पना से संबंधित मुख्य इंजन, मेक - केओईएल. डीजीूआरबी 33 इंजन के सी वॉटर पम्प के पोर्ट साईड तथा स्टारबोर्ड साइड के सभी 16 संख्याएँ सिलिंडर हेडस की मरम्मत.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, कार्य की अत्यावश्यकता का विचार करते हुए ₹14,01,666 राशि के अतिरिक्त कार्य निष्पादन के लिए तथा 1.7.2021 को पहले ही पूर्ण किए गए विषयाधीन कार्य को करने हेतु फर्म को कुल ₹26,72,916 का भुगतान करने के मुख्य यांत्रिक अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	यांत्रिकी
11.	11	मोबाईल क्रेन अनुभाग की भूमि के एक भाग को सार्वजनिक क्षेत्र तेल उत्पादक कंपनियों को पट्टे पर देना.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, मुख्य यांत्रिक अभियंता के प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया - (i) भूमि आबंटन समिति की सिफारिशों को, तथा (ii) पेट्रोल सहित परंतु केवल उसी तक मर्यादित नहीं बल्कि डिजल, सीएनजी इव्ही चार्जिंग तथा	यांत्रिकी

			वैधानिक दिशानिर्देशों/ आवश्यकताओं/विनियमों द्वारा इंधन स्टेशन के लिए अनुज्ञेय अन्य किसी भी पेट्रोलियम उत्पादों ऑटोमोबाईल फ्युएल की बिक्री हेतु मोबाईल क्रेन अनुभाग, इंदिरा गोदी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट स्थित लगभग 1275 चौ. मीटर मापन के क्षेत्र में जहाँ है जैसे है आधार पर आईओसीएल, एचपीसीएल तथा बीपीसीएल से 10 वर्ष अवधि हेतु, जिसके साथ उस समय के टैम्प अनुमोदित दर पर अथवा यदि विषयाधीन टैम्प दरों में सुधार न किया हो तो, 4% दर की वार्षिक वृध्दि से, परिकलित नए किराए पर 10 वर्ष की और एक मियाद के लिए आपसी सहमति पर लाइसेंस अवधि के नवीनीकरण की उपर्युक्त शर्त के साथ फ्युएल स्टेशन को स्थापित करने हेतु ₹36,20,592 के उपर प्रिमियम की ई-मेल द्वारा बोलियाँ आमंत्रित करने के लिए.	
12.	12	स्टॉर्म गेट, इंदिरा गोदी के दोनो दरवाजों की बडी मरम्मत/पुर्ननवीयन.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, मुख्य यांत्रिक अभियंता के प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया: (i) सीएसएल द्वारा विषयाधीन कार्य के वास्तविक कार्यानिष्पादन के प्रारंभ को 1.10.2022 तक आस्थगित करना. (ii) बैंक गारंटी को विस्तारित करना तथा सीएसएल को नहीं लौटाना.	यांत्रिकी

13.	13	संविदा में उल्लिखित 10% के मुकाबले संविदा मूल्य के 3% के कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी को प्रस्तुत करने को विप्रो का अनुरोध.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, संविदा के अनुसार कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा 10% को लेने के लिए अनुमोदन प्रदान किया, जो दिनांक 23.12.2020 की न्यासी संख्या 225 के अंतर्गत जारी नए निदेशों के अनुसार 3% से उच्चतर है.	सयुक्त निदेशक
14.	14	विशिष्ट तकनीकी - आर्थिक संभाव्यता अध्ययन तथा व्यवहार परामर्श/ परिसम्पत्ति मुद्रीकरण हेतु बोली प्रक्रिया प्रबंधन के उद्देश्य हेतु परामर्शदाताओं का पैनल बनाना.	बोर्ड ने टिप्पणी के परिच्छेद 7 में दिए गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य
15.	15	यलोगेट पुलिस स्टेशन द्वारा जप्त की गई नावों के तल में तलाशी हेतु गोताखोरों के प्रभारों की छूट.	बोर्ड ने यलोगेट पुलिस स्टेशन को जीएसटी को छोडकर ₹14,136.77 राशि के गोताखोरों के प्रभारों की छूट देने के लिए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य
16.	16	फाईनल प्लॉट नंबर 112, 2रा क्रॉस रोड, क्लाईव्ह रोड, एलफिंस्टन इस्टेट (पश्चिम), मुंबई, पर असुरक्षित इमारत को गिराना.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, फाईनल प्लॉट नंबर 112, 2रा क्रॉस रोड, क्लाईव्ह रोड, एलफिंस्टन इस्टेट (पश्चिम), मुंबई पर असुरक्षित इमारत को गिराने के लिए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य
17.	17	सागरमाला योजना के अधीन दुसरे रसायन पोतघाट के पहुँच मार्ग को गहरा और चौडा करने हेतु मंत्रालय से निधि की माँग करने के संबंध में.	बोर्ड ने दुसरे रसायन पोतघाट के पहुँच मार्ग को गहरा और चौडा करने की परियोजना के लिए सागरमाला योजना के अधीन निधि की मांग न करते हुए इस परियोजना को मुंपोट्र के आंतरिक स्त्रोतों के जरिए पूरा करने के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य

18.	18	निविदा संख्या सीई. टिसीबी/2020-पिरपाव, मुंपोट्र स्थित तीसरे रसायन पोतघाट का विकास - अभियांत्रिकी जाँच पडताल तथा परिवर्तण की वैधता हेतु आईआईटी मद्रास की नियुक्ति.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया: (i) उपरोक्त परिच्छेद 4 के अंतर्गत तथा उपरोक्त परिच्छेद 6 में उल्लिखित शर्तो तथा निबंधनों पर यथा विस्तृत कार्य की व्याप्ति हेतु नामांकन आधारपर आईआईटी, मद्रास की नियुक्ति करना, (ii) कुल फीस ₹36 लाख जोड जीएसटी में से 50% भुगतान स्वीकृति पत्र के साथ करना.	स्थापत्य
19.	19	श्री दिनकर देवबा पोळ, सेवानिवृत्त सुरक्षा रक्षक, बॅ.सं.453, सामान्य प्रशासन विभाग, सुरक्षा प्रभाग, मुंपोट्र के विरुध्द मुंपोट्र पेंशन विनियमों के विनियम 8 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, श्री दिनकर देवबा पोळ, पूर्व-सुरक्षा रक्षक को कारण बताओ ज्ञापन जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जिसमें उसके उपरोल्लिखित कदाचार, जिसके लिए जाँच-कार्यवाई के दौरान वह 'दोषी' पाया गया था, उस के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए उसके मूल पेंशन का 25% रोकने का दंड प्रस्तावित है.	सुरक्षा
20.	20	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के लिए मिडीया मॅनेजमेंट, सभी मिडियम अनॅलेटिक्स, डिझाइनिंग कार्य तथा पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशंस कंसल्टंटों की सम्हलाई हेतु मिडीया एजेंसी का चयन.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, चार महीनों के लिए अथवा निविदा को अंतिम रुप देने तक, इसमें से जो भी पहले हो, नामांकन आधारपर साई ॲडव्हर्टायझर के साथ संविदा जारी रखने को अनुमोदन प्रदान किया.	सामान्य प्रशासन
21.	21	7 दिसंबर 2021 को आयोजित विशेष बोर्ड बैठक तथा बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गइ कार्रवाई की रिपोर्टे.	बोर्ड ने 7 दिसंबर 2021 को हुई विशेष बोर्ड बैठक तथा उसी दिन आयोजित बोर्ड बैठक संख्या 9 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्टो को नोट किया.	सामान्य प्रशासन

22	22	वित्त विभाग में चार्टर्ड अकाउंटंटो/ कॉस्ट अकाउटंटो की संविदा आधारपर नियुक्ति .	बोर्ड ने चर्चा के बाद, वित्त विभाग में 1 वर्ष की अवधि के लिए, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक समय एक वर्ष तक आगे विस्तारित की जा सकती है, ऐसे संविदा आधार पर लेखा अधिकारी के रुप में ₹60,000 प्रति माह के समेकित पारिश्रामिक पर 4 चार्टर्ड अकाउंटटों/ कॉस्ट अकाउंटंटो की नियुक्ति हेतु वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	वित्तिय
23	23	निविदा संख्या सीई. एमआईसीटी/ ओएण्डएम/ 2020- "इंदिरा गोदी स्थित मुंबई इंटरनॅशनल क्रुज टर्मिनल (एमआईसीटी) का डीबीएफओटी (पीपीपी) आधार पर विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण" - एसपीव्ही- बॅलार्ड पियर प्राईवेट लिमिटेड के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर करना.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, चयनित बोलीकर्ता जे.एम. बक्षी पोर्टस् एण्ड लॉजिस्टिक्स लि. द्वारा (पहले जे. एम. बक्षी पोर्टस् एण्ड लॉजिस्टिक्स प्राईव्हेट लिमिटेड के रुप में पहचाने जानेवाले तथा उसके पहले इंटरनॅशनल कार्गो टर्मिनल्स एण्ड इंफ्रास्टक्चर प्राईव्हेट लिमिटेड के रुप में पहचाने जानेवाले) निगमित "बैलार्ड पियर प्राईव्हेट लिमिटेड" - एसपीव्ही के साथ रियायत करार (सीए) करने के लिए टिप्पणी के परिच्छेद 12 में दिए गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य
24.	24	ऑटोमोबाईल व्यवसाय के साथ ग्राहक सुविधा बैठक.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, टिप्पणी के परिच्छेद 6 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
25.	25	नए शिवडी वेअरहाउस, नए फ्रेयर बेसिन वेअरहाउस तथा 5 वेअरहाउस पीडी स्थित अनिकासित/बेदावा पोतभार का निपटान.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, एनएसडब्ल्यूएच, एनएफबीडब्ल्यूएच तथा 5 डब्ल्यूएचपीडी स्थित पडे हुए पोतभार को एक साथ निपटान हेतु बाहर निकालने तथा यदि आवश्यक हो तो संविदा आधारपर कर्मचारी किराए पर लेने को अनुमोदन प्रदान किया.	यातायात

26.	26	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट स्थित आयात जिप्सम/एमओपी तथा अन्य इस प्रकार के थोक पोतभार हेतु 180 दिनों तक की अवधि के लिए भंडारण सुविधाएँ.	बोर्ड ने टिप्पणी के परिच्छेद 7 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
27.	27	निविदा संख्या ई-17/2021- भाग ए,बी तथा सी - मुंपोट्र संपदा (चरण-IV) में एण्ड पार्क के प्रचालन तथा प्रबंधन हेतु ई-निविदा तथा इ-नीलामी- उच्चतम बोली प्रस्तावों की स्वीकृति.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया: (i) भाग ए के लिए प्रति माह, जीएसटी को छोडकर, ₹18,00,126 राशि के रॉयल इंडस्ट्रीयल सर्विसेस के उच्चतम बोली प्रस्ताव को स्वीकार करना. (ii) भाग बी के लिए प्रति माह, जीएसटी को छोडकर, ₹22,67,800 राशि के रॉयल इंडस्ट्रीयल सर्विसेस के उच्चतम बोली प्रस्ताव का स्वीकार करना, (iii) भाग सी के लिए प्रति माह, जीएसटी को छोडकर, ₹13,29,126 राशि के रॉयल इंडस्ट्रीयल सर्विसेस के उच्चतम बोली प्रस्ताव को स्वीकार करना.	स्थापत्य
28.	28	एलफिंस्टन इस्टेट स्थित मुंपोट्र के रिक्त भूखंड धारण आरआर संख्या 742 का बिहार सरकार को प्रस्तावित आबंटन.	बोर्ड ने टिप्पणी के परिच्छेद 11 में दिए गए संपदा प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	संपदा
29.	29	जहाज एम.व्ही. टॅग-6, टॅग-9, टॅग-12, टॅग-13 तथा टॅग-14 के विरुध्द नौ-अधिकारण दावें- सहमति शर्तों को फाईल करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन.	बोर्ड ने टिप्पणी के परिच्छेद 21 में दिए गए उप संरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	समुद्री

30.	30	मेसर्स आरकेइसी प्रोजेक्टस् लिमिटेड और मुंबई पोर्ट का न्यासी मंडल के बीच मध्यस्थता कार्यवाहियों से संबंधित मामले में बिलों के भुगतान हेतु स्वीकृति.	बोर्ड ने टिप्पणी के परिच्छेद 6 में दिए गए मुख्य विधि अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	विधि
31.	31	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में तैनात व्यावसायिक कार्याधिकारियों की संविदा का विस्तारण-समेकित पारिश्रमिक में वार्षिक वेतन वृध्दि (इंक्रीमेंट).	बोर्ड ने चर्चा के बाद, प्रत्येक वर्ष कार्य-निष्पादन का पुनरीक्षण करने की शर्तपर परिच्छेद 3 में यथा उल्लिखित व्यावसायिक कार्याधिकारियों तथा भविष्य में सभी नियुक्तियाँ को भी समेकित पारिश्रमिक में 5% वार्षिक वृध्दि मंजूर करने हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	सामान्य प्रशासन
32.	32	दावों/अदत्त देयों आदि की वसूली पर समझौता. सर्वमाफी योजना की प्रस्तुति.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, परिच्छेद 5, 13 तथा 19 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
33.	33	बॉम्बे सीटी सिविल सूट संख्या 10350 वर्ष 1988 (उच्च न्यायालय सूट संख्या 348 वर्ष 88) रवि इंद्रकुमार गुप्ता... वादी (इंद्रकुमार आर. गुप्ता) विरुध्द मुंबई पोर्ट का न्यासी मंडल तथा अन्य..... प्रतिवादी	बोर्ड ने टिप्पणी के परिच्छेद 5 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
34.	34	प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रिय क्रुज सम्मेलन.	बोर्ड ने टिप्पणी के परिच्छेद 10 (बी) तथा 10 (सी) में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
35	35	निविदा संख्या. 64/2020- कान्होजी आंग्रे द्वीप (के एआई) का पीपीपी आधार पर पर्यटन गंतव्य स्थल के रुप में विकास प्रचालन तथा अनुरक्षण. -दिनांक 12.7.2021 के रियायत करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार पूर्ववर्ती शर्तो का अनुपालन.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को निम्ननुसार अनुमोदन प्रदान दिया: (i) अनुच्छेद 3 के 3.1 (a) (ix) के अंतर्गत पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने की शर्त में छूट देने की शर्त	स्थापत्य

			पर अनुच्छेद 3 पूर्ववर्ती शर्त की धारा संख्या 3.1(a) के अंतर्गत शर्त पालन का स्वीकार करना तथा न्यूनतम विकास दायित्व निर्माण कार्य को पूरा करने तक, शर्त के अनुपालन हेतु अतिरिक्त समय के लिए मंजूरी देना तथा तत्पश्चात सीओडी हेतु परियोजना क्रियान्वयन - अनुच्छेद 6 की धारा संध्या 6.10 के अंतर्गत यथावश्यक समापन प्रमाणपत्र जारी करना. (ii) नियुक्ति तिथि अथवा रियायत प्रदान करने की तिथि जो रियायत अवधि के प्रारंभ की तिथि होगी उसे पूर्ववर्ती शर्त अनुच्छेद 3 की धारा सं. 3.7 के अंतर्गत यथावश्यक, बोर्ड द्वारा स्वीकृति की तिथि के रुप में मान्यता देना तथा पूर्ववर्ती शर्त अनुच्छेद 3 की धारा 3.1(b)(ii) के अंतर्गत यथावश्यक परियोजना के उद्देश्य के लिए परियोजना स्थल तथा/अथवा परिसंपत्ति का प्रत्यक्ष कब्जा सुपुर्द करना.	
36	36	निविदा संख्या सीई एफएसआरयु/2019 - मुंबई बंदरगाह में लाइसेंस मॉडेल पर फ्लोटिंग, स्टोरेज एण्ड रिगैसिफिकेशन युनिट को स्थापित करना, प्रचालित करना और अनुरक्षण करना - प्रारंभ निधि के विस्तारण हेतु प्रस्ताव.	बोर्ड ने लाइसेंस करार की 'पूर्ववर्ती शर्तें' के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी परिनिर्धारित नुकसानी की उगाही के बिना, लाइसेंस करार की धारा संख्या 3.1(a), (iv), (v), (xi) के अंतर्गत पूर्ववर्ती शर्तों के अनुपालन हेतु यथा प्रार्थित 6 महीनों के बजाय 4 महीनों का अतिरिक्त समय अर्थात 12.2.2022 से 11.6.2022 तक प्रदान करने के लाइसेंसी, स्पेस के अनुरोध का स्वीकार करने के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य

37	37	मुंबई / जनेपन्यास बंदरगाह में टियर -I तेल बिखराव प्रतिक्रिया सुविधाएँ तथा सेवाएँ प्रदान करना - नामांकन आधार पर ओएसआर संविदा का विस्तारण (संदर्भ : निविदा संख्या एमईईडी 1/2014)	बोर्ड ने टिप्पणी के परिच्छेद 11 में दिए गए उप संरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	समुद्री
38	38	मुकदमा लडने के लिए संपदा अधिकारी के कार्यालय हेतु प्रशिक्षुओं तथा विधि सलाहकार की नियुक्ति.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, ₹25,000 की मासिक वृत्तिका प्रशिक्षुओं के लिए तथा ₹1 लाख विधि सलाहकार के लिए, जिसके साथ टिप्पणी के परिच्छेद 3 में दिए गए सुझाव के अनुसार परिवर्तनों सहित प्रशिक्षुओं तथा विधि सलाहकार की नियुक्ति करने के मुख्य विधि अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	सामान्य प्रशासन
39	39	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) तथा इंडिया पोर्टस् ग्लोबल लिमिटेड (आईजीपीएल) के बीच समझौता ज्ञापन.	बोर्ड ने टिप्पणी के परिच्छेद 5 में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	सामान्य प्रशासन
40	40	पीपीपी तरीके से मरीना का विकास. एसएफसी को अनुमोदन हेतु भेजे जानेवाले परियोजना प्राचल मे संशोधन.	बोर्ड ने टिप्पणी के परिच्छेद 11 में दिए गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	स्थापत्य
41	41	पीपीपी आधार पर अस्पताल का आगे विस्तार करने के साथ एक मेडिकल कॉलेज को विकसित करने के विकल्प सहित 600 शय्याओं के सुपर स्पेश्यालिटी अस्पताल की स्थापना हेतु अस्पताल परियोजना की ताजा स्थिति.	बोर्ड ने चर्चा के बाद निम्नलिखित को अनुमोदित किया : (i) रियायत करार की धारा संख्या 5.4 के अनुसार मुंबई पत्तन प्राधिकरण के सचिव श्री. यु.आर. मोहन राजू को ग्राही बोर्ड पर अथक निदेशक (नॉन रिटायरिंग डिरेक्टर) के रुपमें नामित करना तथा सचिव को उनके बोर्ड पर अथक निदेशक (नॉन रिटायरिंग डिरेक्टर) के रुप में नियुक्त करने के लिए तथा ग्राही को बोर्ड की सभी बैठकों में अथक निदेशक (नॉन रिटायरिंग डिरेक्टर) को सहभाग लेने के	चिकित्सा

			लिए अनुमत करने के लिए, ग्राही को सूचित करना. अथक निदेशक (नॉन रिटायरिंग डिरेक्टर) ग्राही के बोर्ड की सभी बैठकों में अनिवार्यत: सहभाग लेंगें. (ii) सचिव, श्री यु.आर. मोहन राजू को प्राधिकरण के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुपमें नामित करना तथा प्रधिकरण के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में श्री यु.आर. मोहन राजू, सचिव के नाम गोल्डन शेअर हस्तांतरित करना तथा तदनुसार ग्राही को सूचित करना. (iii) पहले लिए गए सभी निर्णयों को फिर एक बार अथक निदेशक (नॉन रिटायरिंग डिरेक्टर) की उपस्थिति में आगे होने वाली ग्राही एसपीव्ही की बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करना. (iv) निर्णयन तथा मुंबई पत्तन प्राधिकरण के हितों की रक्षा करने में अथक निदेशक (नॉन रिटायरिंग डिरेक्टर) की सहायता हेतु एक कंपनी सचिव को अलग से मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा सेवा में लिया जाएगा.	
42	42	मुंबई के समुद्र स्तर में चढाव तथा सैलाब और भविष्य में उसके भारत मुंबई शहर के विकास पर असर सहित मुंबई पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व के पूर्वी तटीय नगर भाग पर फोकस - युनिव्हर्सिटी आफॅ नोत्रदेम मे साथ परामर्श सेवाओं हेतु अनुमोदन.	बोर्ड ने चर्चा के बाद निम्नानुसार अनुमोदित किया : (i) यह अध्ययन मुंपोट्र के पास के समुद्री तट के समूचे क्षेत्र के लिए किया जाएगा जैसे की मुंबई के पूर्वी तथा दक्षिणी तटीय नगर भाग, जवाहर द्वीप तथा कान्होजी आंग्रे द्वीप.	स्थापत्य

			(ii) परियोजना रिपोर्ट को मुंपोट्र के साथ परामर्श करके अंतिम रुप दिया जायेगा. (iii) यदि अध्ययन की संपूर्ण लागत को युएसटीडीए द्वारा वित्त पोषित किया गया तो ही अध्ययन को संचालित किया जायेगा. मुंपोट्र केवल टिप्पणी के परिच्छेद 9 में उल्लिखित लागत को ही वहन करेगा. (iv) भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के बाद ही अध्ययन शुरु किया जाएगा.	

C6/Pro 15 February 2022/actiontaken20220215(hindi)